भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *159

30 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने की योजना

†*159. श्रीमती डी. के. अरुणाः

श्री इटेला राजेंदरः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) हेतु प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है या कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में विशेषज्ञों की राय, यदि कोई हो, पर विचार किया गया था और कृतिक बलों/समितियों/आयोगों की नियुक्ति की गई थी/प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे और उन पर कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इसके लिए स्वीकृत और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य-वार विशेषकर तेलंगाना और तमिलनाडु के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) को प्रोत्साहित करने की योजना" के संबंध में दिनांक 30.07.2025 को लोक सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 159 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): जी, हां। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 1 जुलाई को अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवोन्मेष (आरडीआई) योजना को अनुमोदित किया।

भारत सरकार पहले से ही अटल नवोन्मेष मिशन, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन और भारत अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) मिशन जैसी कई प्रमुख पहलों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है जिसने विनिर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकी विकास के लिए सुदृढ़ नवोन्मेष पारिस्थितिकी तंत्र की प्रारंभिक नींव रखी। इसी आधार पर, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत एआई मिशन और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसे नवीन कार्यक्रम अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में अग्रणी भूमिका निभाने की सरकार के कार्यनीतिक प्रयोजन को दर्शाते हैं।

नयी आरडीआई योजना का कुल परिव्यय 6 वर्षों में 1 लाख करोड़ रूपये है। आरडीआई योजना के तहत कार्यनीतिक महत्व के प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी गहन प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। यह योजना कार्यनीतिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी समावेशित करती है और इसमें सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) से अनुमोदन के आधार पर अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने का लचीलापन है। इस योजना के तहत वित्तपोषण की प्रकृति में दीर्घकालिक ऋण (कम या बिना ब्याज पर), इक्विटी वित्तपोषण और डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स में अंशदान शामिल हैं। इस योजना के तहत अनुदान वित्तपोषण और अल्पकालिक ऋण की परिकल्पना नहीं की गई है।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) के अंतर्गत विशेष प्रयोजन निधि (एसपीएफ), स्तर 1 निधि संरक्षक के रूप में कार्य करेगी। इसका कार्यान्वयन कार्य सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के अनुमोदन से द्वितीय-स्तरीय निधि प्रबंधकों (एसएलएफएम) द्वारा किया जाएगा जिसमें वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ), विकास वित्त संस्थान (डीएफआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), और बीआईआरएसी, टीडीबी और आईआईटी रिसर्च पार्क जैसे केंद्रित अनुसंधान संगठन (एफआरओ) शामिल है।

इस योजना का उद्देश्य रूपांतरकारी क्षमता वाली टीआरएल 4 और उससे अधिक की आरडीआई परियोजनाओं को वित्तपोषित करना, एएनआरएफ के साथ अतिव्यापन (ओवरलैप) से बचना और कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण की अनुमति देना है। तथापि, इस वित्तपोषण में अगली पीढ़ी की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएँ, सरकारी संस्थानों के लिए आरडीआई वित्तपोषण और अल्पकालिक ऋण शामिल नहीं हैं। यह वित्तपोषण, परियोजना की अनुमानित लागत के अधिकतम 50% तक सीमित होगा और शेष धनराशि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। असाधारण प्रकार की परियोजनाओं/क्षेत्रों में, ईजीओएस के अनुमोदन से वित्तपोषण में सरकारी भागीदारी की वित्तीय सीमा शिथिल की जा सकती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। एएनआरएफ के शासी बोर्ड द्वारा निगरानी और प्रशासन का कार्य किया जाता है जबकि ईजीओएस, कार्यकारी परिषद (ईसी) और निवेश समितियां (आईसी) क्षेत्र अनुमोदन, निधि प्रबंधक चयन, परियोजना मूल्यांकन और समग्र प्रदर्शन समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने बजट-पश्च वेबिनार में शिक्षा जगत, उद्योग जगत, स्टार्ट-अप्स और अनुसंधान समुदाय के विशेषज्ञों सहित 10,000 से अधिक हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। तदुपरांत, विचार-विमर्श को बढ़ाने और क्षेत्र-विशिष्ट सुझावों को शामिल करने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, वित्तीय संस्थानों और विषय-वस्तु विशेषज्ञों के साथ कई अनुवर्ती बैठकें आयोजित की गईं। इन परामर्शों का उद्देश्य योजना निर्धारण और कार्यान्वयन प्रक्रिया को सूचित करने के लिए विविध दृष्टिकोणों को एकत्रित करना था। बजट-पश्च वेबिनार के दौरान प्राप्त सिफारिशों के आधार पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। इसके अलावा, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के परामर्श से अंतर-मंत्रालयीन समन्वय और विचार-विमर्श किये गये।

उपयुक्त दिशानिर्देश वर्तमान में तैयार किए जा रहे हैं और आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और व्यय विभाग (डीओई) के परामर्श से इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 20,000 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है।

*****